

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 182-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 21-12-2015  
पारित द्वारा अपर तहसीलदार, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 10/14-15/अ-70

- 1- शोभाराम पुत्र हरमान
  - 2- अमर सिंह पुत्र हरमान
  - 3- भीकाराम पुत्र हरमान
  - 4- मुकेश पुत्र हरमान
  - 5- विशम्भर पुत्र हरमान
  - 6- कोक सिंह पुत्र हल्केराम
  - 7- अमृतलाल पुत्र हल्केराम
  - 8- निरंजन पुत्र हल्केराम
  - 9- रामकृष्ण पुत्र हल्केराम
  - 10- महेश पुत्र हल्केराम
- निवासीगण ग्राम डबका  
परगना व जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- सन्तोष सिंह पुत्र वृन्दावन सिंह गुर्जर  
निवासी ग्राम ओहदरपुर पाही ग्राम डबका  
जिला ग्वालियर
- 2- म0प्र0 शासन अपर तहसीलदार  
मुरार जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री के0के0 चतुर्वेदी,, अभिभाषक, आवेदकगण  
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1



:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-12-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त हस्तिनापुर टप्पा मुरार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा डबका परगना व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 508 रकबा 1.055 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 507 रकबा 1.599 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 506 रकबा 0.742 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की हैं । उक्त भूमियों का सीमाकन कराये जाने पर सर्वे क्रमांक 506 के रकबा लगभग डेढ़ बीघा पर आवेदक क्रमांक 6 लगायत 10, सर्वे क्रमांक 507 के रकबा लगभग ढाई बीघा पर कोक सिंह एवं सर्वे क्रमांक 508 के सम्पूर्ण भाग पर आवेदक क्रमांक 1 लगायत 5 का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलवाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/14-15/अ-70 दर्ज कर दिनांक 21-12-2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों का कब्जा अनावेदक क्रमांक 1 को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक सौंपे जाने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) संहिता की धारा 250 के अंतर्गत दो वर्ष के भीतर कार्यवाही करने का प्रावधान है, परन्तु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा 4 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अतः तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र इसी आधार पर अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।






- (2) आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में काबिज थे, और अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाद लंबित रहने के दौरान भूमि क्रय की गई है, अतः संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के प्रभाव से क्रेता को भूमिस्वामी नहीं माना जा सकता है ।
- (3) विक्रय पत्र दिनांक 10-6-2011 के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 संतोष सिंह द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अपना विधिवत नामांतरण नहीं कराया गया है, और हल्का पटवारी से सांठगांठ कर दिनांक 10-11-2012 को खाता क्रमांक 246 पर पंजी में नाम दर्ज कराया गया है, जिसमें विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं हैं, और न ही तहसील न्यायालय से प्रमाणित है ।
- (4) वर्ष 2007 में विक्रेता रामनरेश को भूमि बेच चुका है, ऐसी स्थिति में उन्हें भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है, और विक्रय पत्र दिनांक 10-6-2011 निरर्थक एवं शून्यवत होने से उसके आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।
- (5) तहसील न्यायालय में आवेदकगण की ओर से सीमांकन की वैधता के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया है ।
- (6) तहसील न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित नहीं किये जाने से तहसील न्यायालय का आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 1993 आर.एन. 363, 1979 आर.एन. 318 एवं 1966 आर.एन. 19 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) आवेदकगण द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर कब्जा सौपने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।
- (2) तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे साक्ष्य से उनका कब्जा नहीं होना सिद्ध कर सकते हैं ।
- (3) संहिता की धारा 250 (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि तहसीदार जाँच के किसी भी प्रक्रम में भूमिस्वामी को उसकी भूमि का कब्जा देने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर




सकेगा, अतः उक्त प्रावधान के अनुसरण में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(4) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से काल्पनिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्थ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 250 की उपधारा 3 में अंतरिम आदेश पारित कर कब्जा दिलाये जाने का प्रावधान है एवं उपधारा 4 में तहसीलदार का आदेश होने के उपरांत कब्जाधारी द्वारा कब्जा सौंपे जाने का प्रावधान है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण के निराकरण तक कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे प्रकरण के गुण-दोष पर अपना पक्ष रख सकते हैं । उनके द्वारा इस न्यायालय में गुण-दोष पर प्रस्तुत तर्क विचार योग्य नहीं है, क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-12-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।



  
(मनोज गभ्वेल)

अध्यक्ष  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर